न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 117 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. लिखमीचन्द पुत्र श्रीराम 2. ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम जाति दिशान्तरी निवासी गुड़ामालानी	1. चुन्नीलाल पुत्र श्रीराम 2. मांगीलाल पुत्र श्रीराम 3. छगनीदेवी पत्नी श्रीराम (अपीलांट व उतरदातागण संख्या 1 से 3 श्रीराम पुत्र पावूदान(फौत) के कायम मुकाम है) 4. श्रवणकुमार पुत्र मगाराम का.मु 4 / 1स्वरूप पुत्र श्रवण 4 / 2देवाराम पुत्र श्रवण 4 / 3गोपी पत्नी श्रवण 5. भीमा पुत्र मगाराम 6. मोहन पुत्र मगाराम 7. हरी पुत्र मगाराम 8. शंकर पुत्र मगाराम (उतरदाता संख्या 5 से 8 मृत मगाराम के कायम मुकाम) 9. भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र 10. पुखराज पुत्र दोलाराम 11. चेनाराम पुत्र दोलाराम 12. मदन पुत्र रूपाराम 13. नरपत पुत्र रूपाराम 14. जगदीश पुत्र रूपाराम 15. अशोक पुत्र रूपाराम 16. छगनी देवी पत्नी रूपाराम जाति दिशान्तरी निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 17. ईशराराम पुत्र प्रेमाराम जाति कलबी निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी 18. तहसीलदार एवं उप पंजीयक गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 102 / 2022

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बअनवान लिखमीचन्द बनाम चुन्नीलाल वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2023 के विरूद्ध पेष हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सिद्धार्थ परिहार अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—10.01.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सभी रेस्पोडेंटान के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया था कि राजस्व गांव गुड़ामालानी पटवार हल्का गुड़ामालानी के खेत खसरा संख्या 1756 रकबा 5.2690 हैक्टयर में अपीलांटगण प्रत्येक का 1/25—1/25 हिस्सा घोषित किया जावे। अपीलांट संख्या 1 से 2 के पिता व उतरदाता संख्या 1 से 3 के पूर्वज श्रीराम द्वारा उतरदाता संख्या 17 ईशराराम को अपने पैतृक नोशनल हिस्से से ज्यादा किया गया बेचान दिनांक 12.08.2021 को शून्य घोषित करते हुए अपीलांटस को खातेदार घोषित करने का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के वाद के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई जबावदावा प्रस्तुत नहीं हुआ और अधिकतर प्रतिवादीगण ने कोई पैरवी ही नहीं की, जिससे उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय थी। इसके विरूद्ध वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं वादीगण व एक गवाह का शपथ बयान न्यायालय में करवाया गया तथा संबंधित 5 दस्तावेजात को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया तथा संबंधित 5 दस्तावेजात को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया, जिन समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचन ही नहीं किया, अपितु अवलोकन तक नहीं करके सरसरी तौर पर वाद को विधि द्वारा वर्जित होने का आधार लेकर दावा खारिज कर दिया गया। उभयपक्ष द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज पाबूदान की थी जिसके पक्षकारान वंशज है

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

इसलिए निर्विवाद रूप से वादग्रस्त भूमि में उनका प्रत्येक का 1/25 हिस्सा पैतृक संपत्ति के कारण कानूनी रूप से बनता है। परन्तु मृत श्रीराम द्वारा अपीलाधीन आराजी में अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान दिनांक 12.08.2021 को कर दिया गया, जबकि उसे अपने हिस्से की कुल भूमि के 1/25 से अधिक की भूमि का किसी भी रूप में हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार दिनांक 12.08.2021 का बेचान प्रारंभ से ही कानूनी रूप से अवैध व शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस के पिता श्रीराम ने दिनांक 12.08.2021 को अपीलाधीन आराजी में से अपना हिस्सा उतरदाता संख्या 17 को बेचान किया गया। उतरदाता संख्या 17 के पक्ष में हुआ बेचान अपीलांटस व उतरदाता संख्या 01 से 03 की सहमति से किया गया। उतरदाता संख्या 17 एक सदभावी क्रेता है जिसे नाहक तंग एवं परेशान करने की नियत से हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे पेश करने का अपीलांटस को कोई अधिकार नहीं है। उतरदाता संख्या 17 के पक्ष मे किये गये बेचान को किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के प्रभाव में रहते अपीलांट/वादीगण राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है और विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। दोनों पक्षों की बाद समुचित सुनवाई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील रेस्पोडेंटस को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांटस के पिता ने अपीलाधीन आराजी का बेचान अपने जीवनकाल में किया गया। उतरदाता संख्या 17 के पक्ष मे किये गये बेचान को किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के प्रभाव में रहते अपीलांट/वादीगण

10/1/24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है और विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नही है। हस्तगत पत्रावली पर बहस के वक्त उतरदाता के अधिवक्ता ने वहस करते हुए निवेदन किया कि "उतरदाता संख्या 17 के पक्ष में हुआ वेचान अपीलांटस व उतरदाता संख्या 01 से 03 की सहमति से किया गया।" इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांटस द्वारा हस्तगत वाद लालच में आकर कानून का दुरूपयोग करने के लिए तथा उतरदाता संख्या 17 एक सदभावी क्रेता है जिसे परेशान करने के लिए पेश किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन किया गया। अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण की गई। उपरोक्त विवेचदन एवं तथ्यों के आलोक मेरी सुविचारित राय में अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/2022 बअनवान लिखमीचन्द बनाम चुन्नीलाल वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2023 को यथावत रखा जाता है।

10.1.24

(मंगलाराम पुरोहित)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर